

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

सिवन से नहीं लिखाया गया है। अतः नोटिस पर भागान्नी पेशी लालखाही से दुरस्त करने हेतु जारी होकर पत्रावली अर्द्धादि विनाम 04/12/20 को पेश हो।

04/12/19

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण में कई बार

आवाजे लगावानी जा चुकी है। बावजूद आवाज लगवाने ~~कुछ~~ ^{वकील वादी} ~~उत्तर~~ अवकाश पक्षकारान में से कोई भी दामिद अदालत नहीं आया। अतः कार्यवाही प्रकरण केवल दामिरी एवं अदन पैरवी में आधारित किया जाता है। पत्रावली फौजल शुमार होकर नक्कर से रुक हो तथा बाद तमनील दामिद दफ्तर हो। निर्णय रुकने न्यायालय में सुनाया

गया।

(रणजीत सिंह)

सहायक कलक्टर

(फास्ट ट्रेक) खण्डेला